22

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक / /2019

संख्या–3/एल–6–1–12/2019– /स्वा0, **डा0 धर्मेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक (संविदा), सर्जरी विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविधालय, गया** को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी0), सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक–6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 30.04.2019 के प्रभाव से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृति के पश्चात सेवानिवृत चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध किसी प्रकार के अनियमितता का विषय संज्ञान में आता है या किसी मामले में वे दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही की जायेगी, साथ हीं सेवाकाल की कोई अवधि बाद में अविनियमित पायी जाती है तो उसकी सारी जबावदेही स्वयं चिकित्सक की होगी, जिसे विभाग द्वारा विनियमित नहीं किया जाएगा ।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3/एल–6–1–12/2019– 514(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 26/4/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लें0 एवं0 ह0), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि **डा0 धर्मेन्द्र कुमार** का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, **मगध** प्रमंडल, **गया**/जिला पदाधिकारी, **गया**/प्राचार्य, **अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविधालय, गया**/कोषागार पदाधिकारी, **गया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्राचार्य, **अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविधालय, गया** से अनुरोध है कि ऐच्छिक सेवा निवृत, चिकित्सा पदाधिकारी का सेवान्त लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रतियों पेंशन प्रपत्र सहित सभी वांछित कागजात शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

प्रतिलिपि : **डा0 धर्मेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक (संविदा), सर्जरी विभाग,** अनुग्रह नारायण मगध **चिकित्सा महाविधालय, गया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा–2,3,8,9,17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.4.2019

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Old_System_backup\Old System Data\New folder\2019\VRS Letter & Notification-2019.docx